प्रपत्र सं. 01 का पृष्ठ सं. 09 तक

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023
   प्र0इ0रि0 सं. ....44/2023.......... दिनांक..........18/2/2023

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7,7A
   (II) * अधिनियम ....भारतीय दण्ड संहिता धारायें ....120 बी.............
   (III) * अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....334.......समय . 6:35 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 17.02.2023 समय 04:11 पी.एम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 30.01.2023 समय 05:30 पी.एम

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :– चाय का ढाबा, वैशाली नगर डिपो के गेट के पास, पृथ्वीराज रोड, जयपुर।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– उत्तर पश्चिम , लगभग 5 किमी.

(ब) ....

....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री संदीप कुमार
   (ब) पिता/पति का नाम श्री रामकुमार नेहरा
   (स) जन्म तिथी/वर्ष करीब ....32 साल..
   (द) राष्ट्रीयता . भारतीय...
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय -- बस सारथी
   (ल) पता – निवासी– ग्रा. पो. – तिहावली, पुलिस थाना रामगढ सेठान, तह–रामगढ
   जिला –सीकर Mob. – 9783107537

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –

1. श्री परमवीर सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह राणावत, निवासी–मीणा की कोटडी, वाया बच्छ खेडा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा हाल मुख्य प्रबंधक, आरएसआरटीसी, भीलवाडा आगार।
2. श्री बद्रीलाल पुत्र श्री मदन लाल, जाति कलाल, उम्र 52 साल, निवासी– तस्वारियां बावडी, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा (प्राईवेट व्यक्ति)

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–....कोई नहीं.

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)......

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ...... 8500 रूपये ....

11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 30.01.2023 को परिवादी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार नेहरा, जाति जाट, उम्र 32 साल, निवासी– ग्रा. पो. – तिहावली, तह – रामगढ जिला – सीकर ने एक प्रार्थना पत्र ब्यूरो में उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया कि –" सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, SU :II ACB JAIPUR विषय :–रिश्वतखोरो को पकडवाने बाबत, महोदय, में पिछले 5 वर्षो से भीलवाडा आगार मे बस सारथी योजना के तहत परिचालक हूं, वर्तमान मे में भीलवाडा से जयपुर मार्ग पर कार्यरत हूं, जिसका आय लक्ष्य 18,500 प्रतिदिन है। मुख्य प्रबन्धक परमवीर सिंह राणावत अपने दलाल बद्रीलाल सुवालका के जरिए मार्ग आंवटित करने एवम गाडी को रूटिन चैकिंग मुक्त रखने के बदले सभी बस सारथियो से रिश्वत राशि वसुलता है। मेरे से भी मार्ग आवंटन एवम गाडी की चैकिंग नही करने के बदले मुख्य प्रबन्धक अपने दलाल (बद्रीलाल के जरिए 8500– रूपये की रिश्वत मांग रहा है। मै इनको रगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। कार्यवाही करे। प्रार्थी संदीप कुमार s/o रामकुमार नेहरा ग्रा. पो. – तिहावली, तह–रामगढ जिला – सीकर Pin 332307 Mob. – 9783107537 दिनांक 30.01.2023"। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य सही होना बताये। मजीद दरियाफ्त पर परिवादी श्री संदीप कुमार ने बताया कि प्रत्येक महीने के अन्त में मुख्य प्रबन्धक अपने दलाल बद्रीलाल एवं अन्य के मार्फत सभी बस सारथियों से रिश्वत राशि तय करके बस सारथियों को बस मार्ग आवंटन करता है। इसके बाद मुख्य प्रबन्धक परमवीर सिंह राणावत बस मार्ग आवंटन करने एवं बसों की आकस्मिक चैकिंग नहीं करने की एवज् में प्रत्येक महीने की 8–9 तारीख से दलालों के जरिये रिश्वत राशि एकत्रित करता है। मैं भी कल दिनांक 31.01.23 को भीलवाडा आगार जाकर बद्रीलाल एवं मुख्य प्रबन्धक से बस मार्ग आवंटन हेतु बातचीत करूंगा। प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 212 को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री संदीप कुमार एवं श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 212 का आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय की आलमारी से सोनी कम्पनी का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के सभी फॉल्डर खाली होना सुनिश्चित कर रिकॉर्डर में नया SanDisk Ultra 32 GB का मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने की प्रकिया समझाई गई। परिवादी द्वारा कल संदिग्धो के पास जाकर बस मार्ग आवंटन के बारे में बातचीत करने पर संदिग्धो द्वारा रिश्वत के सम्बधं में बातचीत करने की पूरी संभावना है। अतः कानि श्री विरेन्द्र कुमार नं 212 को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर हिदायत दी गई कि कल दिनांक 31.01.2023 को परिवादी श्री संदीप कुमार से सम्पर्क कर, उसके साथ भीलवाडा आगार जाए एवं परिवादी जब संदिग्धो के पास अपने काम के सम्बंध में बातचीत करने जाये उससे पूर्व रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करे एवं आस–पास ही मौजूद रहकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी एवं संदिग्धो के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने एवं उनको देखने का प्रयास करे। परिवादी श्री संदीप कुमार को हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया।

दिनांक 31.01.2023 को परिवादी श्री संदीप कुमार ने अपने मोबाईल नं. 9783107537 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9571744744 पर कॉल करके बताया कि मेरी सबसे पहले दलाल बद्रीलाल से बातचीत हुई। बद्रीलाल ने मेरे से बस आवंटित करने एवं भीलवाडा–जयपुर

का इच्छित बस मार्ग देने के बदले 8500/– रूपये की रिश्वत राशि की मांग की तथा मुझे कहा कि अभी चीफ साहब कार्यालय में नही आये है, उनके आने पर तु चीफ साहब से बात कर लेना। कुछ देर बाद मुख्य प्रबन्धक के अपने कार्यालय उपस्थित आने पर मै मुख्य प्रबंधक से अपने काम के सम्बंध में बातचीत करने गया तो मुझे बद्रीलाल मुख्य प्रबंधक के कार्यालय से बाहर निकलता हुआ, कार्यालय कक्ष के मैन गेट पर मिल गया। बद्रीलाल ने मुझे कहा कि तु अन्दर जाकर साहब से सिर्फ निवेदन कर ले कि साहब मै आ गया हुँ, इतने दिन पारिवारिक कार्यो में बिजी था। मैनें अन्दर जाकर चीफ साहब से बातचीत की तथा मैनें चीफ साहब को बताया कि कई बस सारथियों के तो डॉक्यूमेन्ट ही कम्पलीट नहीं है। जिस पर मुख्य प्रबन्धक ने मुझे कहा कि **"अरे तो यार इन चीजों से तुम्हे कभी रोका क्या, तेरे को मना थोडी किया किसी ने, तेरे को फोन भी किया हुआ है। बदरी क्या किशन ने भी पूछा था तेरे से, आ रहा है आ रहा है मैंने कहा आ रहा है तो बता बहनचोद चार बजे निकल गया फिर बोलता है नहीं आ रहा है।"** जिस पर मैनें कहा – थोडो ध्यान राखज्यो। जिस पर मुख्य प्रबन्धक ने कहा – **"हां मैं देख रहा हुं देख रहा हुं।"** परिवादी ने यह भी बताया कि कल दिनांक 01.02.2023 को बस सारथियों, परिचालकों एवं अन्य स्टाफ का ड्यूटी चार्ट जारी होने पर मैं आपको ड्यूटी चार्ट देखकर जरिए मोबाईल बता दूगां कि मुझे कौनसा बस मार्ग आवंटन किया गया है अथवा नहीं किया गया।

दिनांक 01.02.2023 को समय 03:00 पी.एम पर कानि. श्री विरेन्द्र कुमार नं. 212 ने मन् पुलिस निरीक्षक को कार्यालय कक्ष में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपूर्द करके बताया कि मै आपके निर्देशानुसार दिनांक 31.01.2023 को सुबह परिवादी श्री संदीप कुमार से जरिए मोबाईल सम्पर्क कर एवं उसके साथ जयपुर से रवाना होकर भीलवाडा पंहुचा। भीलवाडा आगार के मुख्य गेट पर मैंने रिकॉर्डर को चालू करके परिवादी को सुपूर्द किया। परिवादी ने आगार परिसर मे जाकर संदिग्ध से बातचीत की तथा कुछ देर बाद रिकॉर्डर मुझे सुपूर्द किया। रिकॉर्डर को बन्द करके मैंने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी दलाल बद्रीलाल से बात हो गई है। बद्रीलाल ने मेरे से भीलवाडा–जयपुर का इच्छित बस मार्ग आवंटन करने के बदले 8500/– रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है। परिवादी ने यह भी बताया कि मुख्य प्रबन्धक अभी अपने कार्यालय में नही आया है। जिस पर मैं एवं परिवादी मुख्य प्रबन्धक के अपने कार्यालय मे आने का इन्तजार करते रहे। सांय करीब चार बजे के आस–पास परिवादी ने मुझे बताया कि मुख्य प्रबन्धक अपने कार्यालय में उपस्थित है। जिस पर मैंने पुनः रिकॉर्डर को चालू करके परिवादी को सुपूर्द किया। परिवादी आगार परिसर के मुख्य भवन के प्रथम तल पर बने मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय के बाहर पंहुचा। मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय के गेट पर परिवादी ने कुछ देर बद्रीलाल से बातचीत की तथा उसके बाद मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में चला गया। कुछ देर बाद परिवादी ने मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय से बाहर आकर रिकॉर्डर मुझे सुपूर्द किया। रिकॉर्डर को बन्द करके मैंने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी मुख्य प्रबन्धक से बात हो गई है। इसके बाद मैं परिवादी को उसकी इच्छानुसार वहीं रूखसत कर भीलवाडा से ब्यूरो मुख्यालय जयपुर के लिए रवाना हो गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को विभागीय लेपटॉप से जोडकर उसमें दर्ज वार्ताओं को सुना गया तो परिवादी एवं विरेन्द्र कुमार कानि नं 212 द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि हुई। रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 01.02.2023 को समय 05:57 पी.एम पर परिवादी श्री संदीप कुमार ने अपने मोबाईल नं. 9783107537 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9571744744 पर कॉल करके बताया कि मेरी मुख्य प्रबन्धक एवं बद्रीलाल से दिनांक 31.01.2023 को हुई बातचीत के अनुसरण में मुझे भीलवाडा–जयपुर का इच्छित बस मार्ग आवंटित किया गया है जो दिनांक 02.02.2023 के ड्यूटी चार्ट में "क्रम संख्या 74, सिड्यूल संख्या B-40, मार्ग का नाम वापसी समय, जयपुर (केकडी) 08:00 आगार ड्यूटी समय 14:30 श्री संदीप नेहरा B.S." पर अंकित है। परिवादी ने यह भी बताया कि मुख्य प्रबन्धक परमवीर सिंह राणावत बस मार्ग आवंटन करने एवं बसों की आकस्मिक चैकिंग नहीं करने की एवज् में प्रत्येक महीने की 8–9 तारीख से दलालों के जरिये रिश्वत राशि एकत्रित करता है। परिवादी ने बताया कि मेरे गांव का धर्मपाल भी भीलवाडा–माउंट आबू मार्ग पर बस सारथी के रूप में चलता है। बद्रीलाल धर्मपाल से बस मार्ग आवंटन एवं बस की आकस्मिक चैकिंग नहीं करने के बदले मेरे से भी ज्यादा रिश्वत की मांग कर रहा है। अतः मैं मेरे एवं धर्मपाल के काम के सम्बंध में दिनांक 09.02.2023 को मुख्य प्रबन्धक से पुनः बातचीत करूगां। जिस पर दिनांक 09.02.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपनी आलमारी से रिकॉर्डर को निकाल कर विरेन्द्र कुमार कानि नं. 212 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि वह भीलवाडा पहुंचकर परिवादी श्री संदीप कुमार से सम्पर्क करें एवं परिवादी जब मुख्य प्रबन्धक से बातचीत करने जाए, उससे पूर्व रिकॉर्डर को चालू करके परिवादी को सुपूर्द करें एवं आस–पास ही मौजूद रहकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी एवं मुख्य प्रबन्धक के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने एवं उनको देखने का प्रयास करें, श्री वीरेन्द्र कुमार को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 09.0.2023 को विरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212 ने अपने मोबाईल नं. 9413490336 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9571744744 पर कॉल करके बताया कि मैनें आपके

आदेशानुसार भीलवाडा पंहुच कर, परिवादी से सम्पर्क कर, रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को सुपूर्द किया। परिवादी मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में भीड होने के कारण काफी देर तक मुख्य प्रबन्धक कार्यालय के बाहर इन्तजार करता रहा। उसके बाद परिवादी मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय के अन्दर गया तथा कुछ देर बाद बाहर आकर रिकॉर्डर मुझे सुपूर्द किया। रिकॉर्डर को बन्द करके मैनें सुरक्षित अपने पास रखा। विरेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल से ही परिवादी श्री संदीप कुमार से मेरी बातचीत करवाई तो परिवादी ने बताया कि मेरी मुख्य प्रबन्धक से बातचीत हुई है। मुख्य प्रबन्धक ने कहा – **हां बोल।** इस पर मैनें कहा कि **गाडी तो मिल गई थी। बदरी मेरे से तो साढे आठ हजार रूपये ही मांग रहा है परन्तु धर्मपाल के लिए ज्यादा मांग रहा है।** इस पर मुख्य प्रबन्धक ने मुझे कहा कि **क्या करना है, वो उसी से (बद्री) बात करो।** मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री संदीप कुमार को हिदायत दी गई कि बद्रीलाल जब भी उससे रिश्वत लेन–देन के लिए कहे या वह बद्रीलाल को रिश्वत राशि देने जाए उससे पूर्व मुझे सूचित करे। इसके बाद विरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212 को परिवादी को वहीं रूखसत कर ब्यूरो कार्यालय, जयपुर पंहुचने की हिदायत की गई।

दिनांक 10.02.2023 को कानि. श्री विरेन्द्र कुमार नं. 212 ने मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपूर्द किया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को विभागीय लेपटॉप से जोडकर उसमें दर्ज वार्ताओं को सुना गया तो परिवादी एवं विरेन्द्र कुमार कानि नं 212 द्वारा दिनांक 09.02.2023 को जरिए मोबाईल बताई गई बातों की पुष्टि हुई। रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया।

उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री परमवीर सिंह राणावत मुख्य प्रबन्धक एवं दलाल श्री बद्रीलाल के विरूद्ध रिश्वत मांग सत्यापन पूर्ण हो चुका है। दलाल बद्रीलाल द्वारा परिवादी श्री संदीप कुमार से उसको बस आवंटित करने एवं भीलवाडा–जयपुर का इच्छित बस मार्ग देने के बदले 8500/– रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना, बद्रीलाल का मुख्य प्रबंधक कार्यालय कक्ष के अन्दर से बाहर आते हुये मैन गेट पर परिवादी को कहना कि तु अन्दर जाकर साहब से सिर्फ निवेदन कर ले कि साहब मै आ गया हुँ, इतने दिन पारिवारिक कार्यो में बिजी था। मुख्य प्रबन्धक द्वारा परिवादी से कहना कि **"अरे तो यार इन चीजों से तुम्हे कभी रोका क्या, तेरे को मना थोडी किया किसी ने, तेरे को फोन भी किया हुआ है। बदरी क्या किशन ने भी पूछा था तेरे से, आ रहा है आ रहा है मैंने कहा आ रहा है तो बता बहनचोद चार बजे निकल गया फिर बोलता है नहीं आ रहा है। हां मैं देख रहा हुं देख रहा हुं।"** परिवादी की दलाल बद्रीलाल एवं मुख्य प्रबंधक से हुई वार्ता के अनुशरण में परिवादी को बस आवंटित करना एवं भीलवाडा–जयपुर का इच्छित बस मार्ग देना, परिवादी द्वारा दिनांक 09.02.2023 को मुख्य प्रबंधक से पुनः यह कहने पर कि मुझे **गाडी तो मिल गई थी। बदरी मेरे से तो साढे आठ हजार रूपये ही मांग रहा है परन्तु धर्मपाल के लिए ज्यादा मांग रहा है,** पर मुख्य प्रबंधक द्वारा परिवादी से यह कहना कि **वो उसी से (बद्री) बात करो,** से मुख्य प्रबंधक श्री परमवीर सिंह राणावत एवं दलाल श्री बद्रीलाल की आपस में मिलिभगत प्रमाणित है। उपरोक्त कार्यवाही से श्री परमवीर सिंह राणावत, मुख्य प्रबन्धक, आरएसआरटीसी, भीलवाडा आगार के द्वारा अपने दलाल बद्रीलाल (प्राईवेट व्यक्ति) से आपराधिक षडयंत्र की रचना कर परिवादी श्री संदीप कुमार (बस सारथी) को भीलवाडा–जयपुर बस मार्ग पर बस आवंटन करने की एवज में श्री बद्रीलाल के मार्फत 8500/– रूपये अनुचित लाभ के रूप में मांग किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित जाने पर आरोपीगण के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 16.02.2023 को परिवादी श्री संदीप कुमार ने अपने मोबाईल नं. 9783107537 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9571744744 पर कॉल करके बताया कि मेरे मोबाईल पर दिनांक 13.02.2023 को बद्रीलाल ने अपने मोबाईल नम्बर 8619391351 से फोन कर उसी दिन रिश्वत राशि के साढे आठ हजार रूपये देने के लिए कहा था जिस पर मैनें बद्रीलाल से कहा कि मेरे घर में शादी है, मैं कल से दो तीन दिन की छुट्टी पर गांव जाउंगा। गांव से वापस आकर आपको साढे आठ हजार रूपये दे दूंगा। परिवादी ने बताया कि बद्रीलाल मेरे से मेरे गांव के रहने वाले धर्मपाल बस सारथी की मंथली के पैसे भी मांग रहा है। परिवादी ने बताया कि यह वार्ता मेरे मोबाईल में सेव है। जिस पर परिवादी को उक्त वार्ता को अपने मोबाईल में सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। परिवादी ने यह भी बताया की बद्रीलाल ने अपने पुत्र सत्यनारायण सुवालका के नाम भीलवाडा–जयपुर मार्ग की बस का आवंटन करवा रखा है तथा इस बस पर अपने पुत्र कि जगह स्वयं बस सारथी/परिचालक का कार्य करता है। बद्रीलाल उक्त बस से प्रतिदिन सांय करीब छः बजे सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड, जयपुर पंहुचता है। अतः मैं कल दिनांक 17.02.2023 को शाम को बद्रीलाल की मांग के अनुसरण में साढे आठ हजार रू उसे देने सिन्धी कैम्प जयपुर जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को साढे आठ हजार रूपये लेकर कल दोपहर में ब्यूरो कार्यालय पंहुचने की हिदायत मुनासिब की गई।

दिनांक 17.02.2023 को ट्रेप कार्यवाही हेतु इस कार्यालय से जरिये पत्र स्वतन्त्र गवाहान श्री बाबू लाल मीणा पुत्र स्व. श्री मदन लाल मीणा, उम्र 30 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम हरडी,

पोस्ट कूथाडा, तहसील– बस्सी, जिला जयपुर। हाल– सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय– उप आवासन आयुक्त, वृत– तृतीय, जवाहर सर्किल जयपुर। मोबाईल नम्बर 90573–32211 एवं श्री संजय शर्मा पुत्र श्री स्व. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा, उम्र 37 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी– आनन्द बिहार बी, प्लॉट नम्बर 16बी, दादी का फाटक, झोटवाडा, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय– उप आवासन आयुक्त, वृत– तृतीय, जवाहर सर्किल जयपुर। मोबाईल नम्बर 79763–53237 तलब किये गये।

दिनांक 17.02.2023 को परिवादी श्री संदीप कुमार उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया। परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज सुबह मैने बद्रीलाल को फोन किया था तो बद्रीलाल ने मुझे कहा कि "**पिसा दो भाई साहब, साहब का फोन आया है।**" मै आज जयपुर ही हुँ। बद्रीलाल ने मेरे से पूछा कि आप कब तब आवोगे तो मैने कहा कि मै अभी ससुराल हुँ एक–दो बजे तक जयपुर आउंगा तब आप को कॉल कर लुंगा। इसके बाद परिवादी श्री संदीप कुमार तथा स्वंतत्र गवाहान श्री बाबू लाल मीणा पुत्र स्व. श्री मदन लाल मीणा, उम्र 30 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम हरडी, पोस्ट कूथाडा, तहसील– बस्सी, जिला जयपुर। हाल– सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय– उप आवासन आयुक्त, वृत– तृतीय, जवाहर सर्किल जयपुर एवं श्री संजय शर्मा पुत्र श्री स्व. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा, उम्र 37 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी– आनन्द बिहार बी, प्लॉट नम्बर 16बी, दादी का फाटक, झोटवाडा, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय– उप आवासन आयुक्त, वृत– तृतीय, जवाहर सर्किल जयपुर उपस्थित कार्यालय है। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री संदीप कुमार से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने पढकर, समझकर व कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी–अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना–पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री संदीप कुमार को आरोपी दलाल श्री बद्रीलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को रिश्वत में दिये जाने वाली रिश्वती राशि 8500 रूपये पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500/– रूपये के 17 नोट कुल 8500/–रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये, नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उसके बाद महिला कानि श्रीमति शर्मिला नम्बर 96 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त नम्बरी नोटों कुल 8500/– रूपये को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमति शर्मिला महिला कानि. नम्बर 96 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादी श्री संदीप कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री संजय शर्मा से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री संदीप कुमार की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी साईड जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्रीमति शर्मिला महिला कानि.नम्बर 96 से रखवाया गया तथा श्रीमति शर्मिला महिला कानि. 96 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया,जो रंगहीन रहा, जिसको सभी को दिखाया गया। इसके पश्चात उक्त घोल में श्रीमति शर्मिला महिला कानि.96 की फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री संदीप कुमार व स्वतंत्र गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध ने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद श्रीमति शर्मिला महिला कानि 96 से उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया एवं जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री संदीप कुमार को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नं. 9571744744 पर अपने मोबाइल से मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत की गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने

वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के पहले व पश्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवश्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें। परिवादी को भी हिदायत की गई कि वह यह भी ध्यान रखे कि संदिग्ध कौन से हाथ से पैसे ले रहा है और वह गिनता है या नहीं तथा लेने के बाद रिश्वत राशि को कहां पर रखता है। तत्पश्चात श्रीमति शर्मिला महिला कानि.96 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई।

कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डरो को श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 212 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी श्री संदीप कुमार जब संदिग्धो को रिश्वत राशि देने जाये, उससे पूर्व रिकॉर्डरो को चालू कर परिवादी को देना सुनिश्चित करें। परिवादी श्री संदीप कुमार को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराह श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हैड कानि. श्री करण सिंह नं. 67, श्रीराम गुर्जर कानि.नं. 295, श्री हरकेश कानि. 69, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 519, श्री रूपकिशोर कानि. 74, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 212 मय स्वतंत्र गवाहान श्री बाबूलाल मीणा एवं श्री संजय शर्मा एवं परिवादी श्री संदीप कुमार के मय ट्रेप बाक्स मय सरकारी लेपटॉप व प्रिन्टर मय सरकारी वाहन नम्बर आरजे 14 यूडी 1398 चालक श्री इन्द्रपाल एवं प्राईवट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक मुनासिब हिदायत दी जाकर ब्यूरो मुख्यालय से रवाना हुये तथा नोटों पर फिनोफ्थलीन पावडर लगाने वाली महिला कानि. श्रीमति शर्मिला कानि 96 को कार्यालय में छोडा गया।

तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के सिविल लाईन फाटक के पास परिवहन मार्ग स्थित, परिवहन कार्यालय के मुख्य गेट के पास पहुंचा। जहां पर वाहनों को साईड में खडा करवाया जाकर कानि. विरेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी श्री संदीप कुमार को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु करके सुपुर्द करवाया गया। परिवादी श्री संदीप कुमार को रिश्वत लेन देन हेतु परिवहन कार्यालय की तरफ रवाना किया गया। मन पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं शेष जाप्ता भी परिवादी के पीछे पीछे अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम रहे।

इसके कुछ समय पश्चात परिवादी अपने फोन से बात करते हुये परिवहन कार्यालय के बगल की गली पृथ्वीराज रोड पर चाय के ढाबे पर एक सफेद शर्ट एवं काले रंग की पेन्ट पहने व्यक्ति के पास जाकर बैठ गया एवं उससे बातचीत करने लग गया। मन पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं शेष जाप्ता भी चाय के ढाबे पर भीड भाड होने के कारण ढाबे पर ही बैठ गये। परिवादी ने उस व्यक्ति से कुछ देर बातचीत करने के बाद अपनी जीन्स पेन्ट की सामने की जेब से कुछ रूपये निकलाकर उस व्यक्ति को दिये जिसने वो रूपये अपने दोनों हाथो से गिनकर अपनी पेंट की साईड की दांहिनी जेब रख लिये। यह समस्त वाक्या मन पुलिस निरीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसके बाद समय 04:11पी.एम. पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं शेष जाप्ते के परिवादी के पास पहुंचा। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैने परिवहन कार्यालय के मैन गेट के बाहर से बद्रीलाल को फोन किया तो बद्रीलाल ने मुझे कहा कि वैशाली नगर डिपो के गेट पर स्थित चाय के ढाबे पर बैठा हुँ। जिस पर मै वैशाली नगर डिपो के गेट पर स्थित चाय के ढाबे पर गया तो बद्रीलाल मुझे वहां बैठा हुआ मिला। जिसने मेरे से 8500 रूपये प्राप्त कर दोनों हाथो से गिनकर अपनी पेंट की साईड की दांहिनी जेब रख लिये। इसके बाद मैने आपको ईशारा कर दिया। इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना, स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त जाप्ते का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री बद्रीलाल पुत्र श्री मदन लाल, जाति कलाल, उम्र 52 साल, निवासी– तस्वारियां बावडी, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा होना बताया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दलाल बद्रीलाल से रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछने पर बद्रीलाल घबरा गया। फिर कहा कि संदीप कुमार बस सारथी है इससे मैनें 8500 रूपये उधार लिये है जो मैने गिनकर मेरी पेंट की जेब में रखे है। इस पर परिवादी श्री संदीप कुमार ने बद्रीलाल की उक्त बातो का खण्डन करते हुये कहा कि बद्रीलाल झुठ बोल रहा

है। बद्रीलाल ने मेरे को बस आवंटित करने एवं इच्छित बस मार्ग भीलवाडा– जयपुर देने के बदले अपनी मांग के अनुशरण में अभी अभी 8500 रूपये मेरे से प्राप्त कर किये है। इस पर आरोपी श्री बद्रीलाल चुप हो गया और ईधर उधर देखने लग गया। चाय के ढाबे पर भीड भाड होने एवं आम रास्ता होने के कारण आरोपी श्री बद्रीलाल का दांहिने हाथ श्री विरेन्द्र कुमार कानि एवं बांया हाथ स्वतंत्र गवाह श्री बाबूलाल मीणा से कलाई के उपर से पकडवाकर समय 04:21 पी.एम पर नजदीक स्थित पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर पहुंचा। जहां पर ड्यूटी एचएम श्री शंकर मौजुद मिले। जिनको अवगत करवाकर थाने परिसर में बने स्वागत कक्ष में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी श्री परमवीर सिंह राणावत, मुख्य प्रबंधक को दस्तयाब करने एवं उसके निवास की खाना तलाशी लिवाई जाने हेतु उच्चाधिकारियो को निवेदन किया गया। इसके पश्चात श्री करण सिंह हैण्ड कानि 67 से ट्रेप बाक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगविहीन था। उसके पश्चात एक ग्लास के घोल में आरोपी बद्रीलाल के दांहिने हाथ की अगुलियों एंव अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क कमशः RH–1 व RH–2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी प्रकार आरोपी बद्रीलाल के बाये हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को दूसरे ग्लास के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क कमशः LH–1 व LH–2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात गवाह श्री संजय शर्मा से आरोपी श्री बद्रीलाल की तलाशी लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई काले रंग की पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में एक जगह 500–500 के 17 नोट मिले। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहान से फर्द पेशकशी रिश्वत राशि से करवाया गया तो उक्त 500–500 के 17 नोटों के नम्बर पेशकशी रिश्वत राशि में अंकित नम्बरो से हुबहू पाये गये। उक्त रिश्वत राशि को गवाह श्री संजय शर्मा के पास सुरक्षित रखवाया गया। उक्त राशि के अलावा दांहिनी जेंब में ही 3140 रूपये मिले। जिनके बारे में आरोपी से पूछने पर आरोपी ने बताया कि मै पहले बस सारथी था वर्तमान में मै निलम्बित चल रहा हूँ। बहाली के लिये मै आज परिवहन कार्यालय आया था अतः ये 3140 रूपये मै जेब खर्चे हेतु साथ लाया था। जामा तलाशी में आरोपी की शर्ट की जेब में एक सिल्वर कलर, ऑप्पो कम्पनी का मोबाईल फोन मिला। गवाह श्री संजय शर्मा के दोनो हाथो को साफ पानी एवं साबुन से अच्छी तरह से धुलवाया गया। इसके पश्चात् आरोपी श्री बद्रीलाल को बाजार से एक पायजामा मंगवाकर पहनने के लिए दिया तथा उसकी पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर ट्रेप बाक्स से एक कांच का साफ गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर मिश्रण रंगहीन होना स्वीकार किया। उसके पश्चात उक्त ग्लास के घोल में आरोपी श्री बद्रीलाल की पेन्ट की साईड की दांहिनी जेब को उलटवाकर उसको ग्लास के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क कमशः PW-1 व PW–2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनों शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी श्री बद्रीलाल की पेन्ट की जेब को सुखा कर जेब पर सम्बन्धितों हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रख कर थैली पर मार्का–P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील मोहर कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात बरामदशुदा रिश्वत राशि 8500 रूपये जो गवाह श्री सजय शर्मा के पास सुरक्षित रखी गई थी, को एक सफेद कागज की चिट लगाकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। पूर्व में परिवादी से प्राप्त किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डरो को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया जिसमें रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्डर होना पाई गई, जिन्हे बन्द कर सुरक्षित रखा गया। रिश्वत लेन देन वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं सीडी तैयार की जावेगी। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी की जामा तलाशी में मिले मोबाईल का अवलोकन किया गया तो मोबाईल में कोई लॉक नही होना पाया गया। मोबाईल फोन सिल्वर कलर, ऑप्पो कम्पनी का जिसमें एक जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 8619391351 एवं दूसरी वोडाफोन कम्पनी की सिम नम्बर 9680213421 लगी हुई है। फोन के IMEI1: 868330053768174 IMEI2:868330053768166 है। उक्त मोबाईल फोन में सिम नम्बर 8619391351 से वाट्सऐप चालू है। फोन में मोबाईल नम्बर 9549653177 Chief Sahab के नाम से सेव है। जिनके बारे में बद्रीलाल बताया कि यह नम्बर मुख्य प्रबंधक श्री परमवीर सिंह का सरकारी नम्बर है। मुख्य प्रबंधक के इस नम्बर पर बद्रीलाल द्वारा दिनांक 27.01.2023 समय 7:08 पी.एम पर "हुकम नये नाम में नटवर सिंह और राजेश मीणा और सत्यनारायण सुवालका सन ऑफ बद्रीलाल सवाल का" का वाट्सऐप मैसेज सेड किया हुआ है। जिसका मुख्य प्रबंधक ने समय 7:13 पी.एम पर Samaryanan ki hi duty ana padega का वाट्सऐप मैसेज सेड किया

हुआ है। दिनांक 29.01.2023 को भी समय 10:42 ए.एम पर "हुकम नए नाम में संदीप चौधरी भी है हुकम आपकी आदेश की प्रतिक्षा रहेगी सर" का वाट्सऐप मैसेज किया हुआ है। इसके अलावा मोबाईल फोन में मोबाईल नम्बर 7877088780 Bhilwada Chief Sahab के नाम से सेव है। जिनके बारे में बद्रीलाल बताया कि यह नम्बर मुख्य प्रबंधक श्री परमवीर सिंह का व्यक्तिगत नम्बर है। मुख्य प्रबंधक के इस नम्बर पर बद्रीलाल द्वारा दिनांक 26.01.2023 समय 4:18 पी.एम पर "हुकम नये नाम में राजेश मीणा नटवर सिंह और आपका बच्चा सत्यनारायण सुवालका सन ऑफ बद्रीलाल" का वाट्सऐप मैसेज सेड किया हुआ है। इसके अलावा मोबाईल में फोटोज में स्क्रीन शॉट सेव है जिसमें Bhilwada Chief Sahab के साथ की गई वाटसऐप चैट है। बद्रीलाल द्वारा मुख्य प्रबंधक के साथ की गई उक्त वाट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट लेकर, लेपटोप से जोकर उनका प्रिन्ट निकालकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त मोबाईल फोन सिल्वर कलर, ऑप्पो कम्पनी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्डमोहर कर थैली पर मार्का MOB अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथधुलाई, बरामदगी रिश्वत राशि व जप्ति मोबाइल पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान की उपस्थित में घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री बद्रीलाल को उसके जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी से उसकी फर्द प्राप्ति नमूना आवाज तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

इसके बाद दिनांक 18.02.2023 को परिवादी श्री संदीप कुमार एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत मांग सत्यापन के समय दिनांक 31.01.2023 को परिवादी श्री संदीप कुमार एवं आरोपीगण श्री बद्रीलाल प्राईवेट व्यक्ति एवं श्री परमवीर सिंह राणावत, मुख्य प्रबंधक, आरएसएसटीसी, भीलवाडा आगार के मध्य आमने सामने हुई वार्ता एवं दिनांक 09.02.2023 को परिवादी श्री संदीप कुमार एवं आरोपी श्री परमवीर सिंह राणावत, मुख्य प्रबंधक के मध्य आमने सामने हुई वार्ता एवं दिनांक 17.02.2023 को रिश्वत लेन देन के दौरान परिवादी संदीप कुमार तथा आरोपी श्री बद्रीलाल प्राईवेट व्यक्ति के मध्य आमने–सामने हुई वार्तायें, जिनको परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। दिनांक 31.01.2023, 09.02.2023 एवं दिनांक 17.02.2023 को हुई उक्त वार्तायें विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगाये गये मेमोरी कार्ड में दर्ज है। दिनांक 13.02.2023 एवं 17.02.2023 को आरोपी बद्रीलाल द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 8619391351 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9783107537 पर की गई वार्ताएे जो परिवादी के मोबाईल में सेव है। मेमोरी कार्ड एवं मोबाईल में रिकॉर्ड उक्त वार्ताओं को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री संदीप कुमार की मौजूदगी में रिकॉर्डर एवं परिवादी के मोबाईल को बारी–बारी से लैपटॉप जोडकर एक फॉल्डर में सेव किया गया। उक्त वार्ताओ को बारी–बारी से सुना जाकर पूर्व से तैयार वार्ता रूपांतरण से शब्द ब शब्द मिलान किया गया, तो मेमोरी कार्ड एवं मोबाईल में रिकार्ड वार्ता, वार्ता रूपांतरण के अनुसार होनी पाई गई। उक्त रिकार्ड वार्ताओं में परिवादी श्री संदीप कुमार ने अपनी तथा आरोपीगण श्री परमवीर सिंह राणावत, मुख्य प्रबंधक एवं श्री बद्रीलाल प्राईवेट व्यक्ति की आवाज की पहचान की गई, उक्त वार्ताओं की सी.डी. बनाने हेतु पांच खाली सी.डी. मंगवायी जाकर पांचो सी.डी. को खाली होना सुनिश्चित कर लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से फोल्डर में सेव रिकार्ड वार्ताओं को पांचो सी.डी. में बर्न किया गया। पांचो सी.डी. को बारी बारी से लैपटॉप में चलाकर सुना गया तो पांचो में उक्त वार्तायें रिकार्ड होनी पाई गई। इसके पश्चात पांचो सी.डी. पर क्रमशः मार्का A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्का A-1, A-2, A-3, A-4 सी.डी. को पृथक–पृथक सी.डी. कवर मे रखकर, पृथक–पृथक सफेद कपड़े की थैलीयों में रख कर थैलीयों पर क्रमशः मार्का A-1, A-2, A-3, A-4 अंकित किये जाकर थैलियों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। मार्का A-5 सी.डी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मेमोरी कार्ड (SanDisk 32GB) जिनमें उक्त वार्तायें रिकार्ड है को एक माचिसनुमा डिब्बी में रखकर, डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रख कर मार्का SD अंकित किया जाकर थैली पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 31.01.2023, 09.02.2023 तथा मोबाईल पर वार्ता दिनांक 13.02.2023, 17.02.2023 एवं रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 17.02.2023, जप्ति मेमोरी कार्ड तथा तैयार वार्ता सी.डी. पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री परमवीर सिंह राणावत, मुख्य प्रबन्धक, आरएसआरटीसी, भीलवाडा आगार के द्वारा अपने दलाल बद्रीलाल (प्राईवेट व्यक्ति) से आपराधिक षडयंत्र की रचना कर परिवादी श्री संदीप कुमार (बस सारथी) को भीलवाडा–जयपुर बस मार्ग पर बस आवंटन करने की एवज् में श्री बद्रीलाल के मार्फत 8500/– रूपये अनुचित लाभ के रूप में मांग करना एवं मांग के अनुशरण में दलाल श्री बद्रीलाल द्वारा परिवादी से 8500 रूपये अपने दोनो हाथो से प्राप्त कर अपनी जेब में रखना, रिश्वत राशि का आरोपी श्री बद्रीलाल की जेब से

बरामद होना एवं आरोपी श्री बद्रीलाल के दोनो हाथो एवं पेंट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी होना अपराध अन्तर्गत धारा 7,7A भष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120 बी भा.द.स प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री बद्रीलाल को ट्रेप कार्यवाही के दौरान जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपी श्री परमवीर सिंह राणावत, मुख्य प्रबंधक आर.एस.आर.टी.सी. भीलवाडा आगार अपने निवास स्थान व पदस्थापन स्थान से फरार है जिसकी तलाश जारी है।

अतः आरोपी 1. श्री परमवीर सिंह राणावत, मुख्य प्रबन्धक, आरएसआरटीसी, भीलवाडा आगार तथा आरोपी दलाल 2. श्री बद्रीलाल पुत्र श्री मदन लाल, जाति कलाल, उम्र 52 साल, निवासी–तस्वारियां बावडी, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध धारा 7,7A भष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120 बी भा.द.स. में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन प्रेषित है।

(सुभाष मील,)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, स्पेशल यूनिट द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री परमवीर सिंह राणावत, मुख्य प्रबन्धक आरएसआरटीसी, भीलवाड़ा आगार एवं 2. श्री बद्रीलाल पुत्र श्री मदन लाल (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी तस्वारियां बावडी, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 44/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

18.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 348-51 दिनांक 18.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.टी.सी.मुख्यालय, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।

18.2.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।